

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/IIA के गुप. डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (गुप. डी-1A) पे-मेट्रिस में लेवल-16 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही में की गई अनुशाषाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/बी-1A/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20 (नियमित) दिनांक:- 24.05.2019 द्वारा चयन किया जाकर विभागीय आदेश दिनांक 21.06.2019 द्वारा श्री अशोक कुमार नैनावत का पदस्थापन राउमावि मथुरागिरी समाधि कपूरिया, बापिनी जोधपुर में प्रधानाचार्य-उमावि के पद पर पदस्थापित किया गया।

श्री नैनावत का चयन सामान्य वर्ग से किया गया था जबकि श्री नैनावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्मिक अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के क्रम में विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 21.06.2019 को श्री अशोक कुमार नैनावत की हद तक एतद्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी-2019-20/पदस्थापन/2019

दिनांक:- 05.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी
09. संबंधित संस्था प्रधान /संबंधित कार्मिक।
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी-3।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर